

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

(तृतीय तल-आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर)
फोन नं. 0141-2227011, 2227416 फैक्स 0141-2227723 website www.rgavp.org

क्रमांक:F ()RGAVP/Mo./2012/003-05

दिनांक: 31.12.2012

स्वयं सहायता समूह फेडरेशन से कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) की सेवायें प्राप्त कराने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा आजीविका संवर्द्धन संबंधी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन किया गया है। वर्तमान में परिषद् द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियावयन राज्य के 18 जिलों में किया जा रहा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह फेडरेशन कार्यरत है जोकि प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, आजीविका संवर्द्धन आदि कार्यों में संलग्न है। ऐसे स्वयं सहायता समूह- फेडरेशन से परिषद् विभिन्न जिलों में संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने के लिये कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) के पैनल बनाकर स्वयं सहायता समूह गठन, प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, आजीविका संवर्द्धन आदि कार्यों में सहयोग लेना चाहती है।

पूर्व में दिनांक 2/12/2012 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी परिषद् संशोधित कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) नीति के अनुसार उपरोक्त कार्यों के लिये पुनः प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

इच्छुक स्वयं सहायता समूह फेडरेशन परिषद् द्वारा जारी इन्टरनल कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन एवं फेडरेशन के चयन संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जिले में परिषद् के जिल परियोजना प्रबंधक से सम्पर्क कर अथवा परिषद् की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु प्रस्ताव विज्ञापन जारी होने के 21 दिन के अन्दर जिला प्रबंधन इकाई अथवा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई जयपुर को निम्न पते पर भिजवाये जा सकते हैं:-

पता:-

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

तृतीय तल- आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन

तिलक मार्ग, सी-स्कीम

जयपुर

(पी.सी. किशन) आई.ए.एस.
स्टेट मिशन डायरेक्टर